वाद सं. 202/19 शेजे खां / तहसीदार शिव

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम जो हुक्म की ता... में जारी हुए
15/10/19	पत्रावली पेश हुई	
15/10/19	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उप.। पत्रावली वास्ते विप्रार्थी के जवाब हेतु दि. 7/11/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शिव	
7/11/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0। उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी ने इस आशय का आवेदन संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि मौजा बोहरासर (बरियाडा) तह0 शिव जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 489 की जमीन गैर मुमकिन मगरा की जमीन हैं वक्त सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 489 की जमीन गैर मुमकिन मगरा के रूप में दर्ज हुई थी जो वक्त सेटलमेन्ट से लगातार सवंत् 2056 तक राजस्व रेकर्ड मे गैर मुमकिन मगरा के रूप मे ही दर्ज रही है। खसरा नम्बर 489 की जमीन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी के कॉलम नम्बर 7 में आज दिन तक गैर मुककिन मगरा ही दर्ज है। कुछ अर्सा पूर्व सरकार के आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में कम्पयुराईज्ड किया गया है राजस्व रेकर्ड को कम्पयुटराईज्ड करते समय खसरा नम्बर 489 के राजस्व रेकर्ड मे गैर मुमकिन मगरा के साथ (चारागाह) शब्द भुलवंश जुड गया है। वास्तव में खसरा नम्बर 489 की जमीन चारागाह ने होकर वक्त सेटलमेन्ट से आज दिन तक लगातार गैर मुमकिन मगरा की ही भूमि है। इसलिए वर्तमान कम्पयुटराईज्ड राजस्व रेकर्ड मे गैर मुमकिन मगरा के साथ भूलवंश अंकित चारागाह शब्द को दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया जिसके लिऐ यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थी को नोटिस भेजे गये। पत्रावली का अवालेकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित वादग्रस्त आराजी सरकारी भूमि है। इस भूमि मे प्रार्थी हितबद्व पक्षकार नहीं होने से उक्त भूमि मे प्रार्थी किसी प्रकार की दुरस्ती करवाने का अधिकारी नही है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी शिव, जिला बाडमेर उपखण्ड अधिकारी शिव	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 16:35:46 IST
Reason: SelfAttested